

## प्रेस नोट दिनांक- 18-01-2021

(1). आज दिनांक 18.01.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा थाना रैपुरा का औचक निरीक्षण एवं विवेचकों का अर्दली रूम किया गया। इस दौरान महोदय द्वारा मिशन शक्ति अभियान के बनाये गये महिला हेल्प डेस्क को चैक किया गया तथा महिला हेल्प डेस्क में नियुक्त महिला कर्मी को निर्देशित किया गया कि महिला शिकायतकर्ता का मोबाइल नम्बर रजिस्टर में अवश्य अंकित करें, जिससे पीडिता से वार्ता कर उसकी शिकायत के निस्तारण के सम्बन्ध में जानकारी ली जा सके। थाना कार्यालय का निरीक्षण कर अपराध रजिस्टर, चुनाव रजिस्टर, आर्डर बुक न्यायालय, आर्डर बुक पुलिस, आकस्मिक निरीक्षण रजिस्टर का आवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

बाद निरीक्षण महोदय द्वारा थाना रैपुरा के विवेचकों का अर्दली रूम लिया गया। अर्दली रूम के दौरान थाना रैपुरा में लम्बित विवेचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी ली एवं विवेचकों से विवेचना लम्बित रखने का कारण पूछा गया। विवेचकों का सख्ते निर्देश दिये गये कि बिना किसी ठोस कारण के किसी भी विवेचना को लम्बित न रखा जाये। बाद अर्दली रूम महोदय द्वारा थाना परिसर, बैरिक, भोजनालय एवं शौचालयका निरीक्षण कर साफ-सफाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इस दौरान प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री सुशीलचन्द्र शर्मा, वाचक श्री शिवबदन सिंह, पीआओ श्री दिनेश कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(2). आज दिनांक 18.01.2021 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शेषमणि पाण्डेय एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा पटेल तिराहा कर्वी से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 की जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस रैली में एनसीसी कैडेट्स द्वारा पटेल तिराहा से ट्राफिक चौराहा, एलआईसी तिराहा से सीआईसी रोड से पटेल तिराहा तक पैदल मार्च कर आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति मम्पलेट्स एवं बैनरों के माध्यम से जागरूक किया गया। राष्ट्रीय यातायात माह दिनांक 18.01.2021 से 17.02.2021 तक मनाया जायेगा, इस दौरान जनपद में आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने हेतु गोष्ठियां, कार्यशालायें एवं विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार राय, क्षेत्राधिकारी नगर श्री रजनीश कुमार यादव, एआरटीओ श्री सुरेन्द्र यादव, यातायात प्रभारी श्री घनश्याम पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी, पीआरओ श्री दिनेश कुमार सिंह, व्यापार मण्डल अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश केसरवानी, व्यापार मण्डल उपाध्यक्ष श्री पंकज अग्रवाल तथा व्यापार मण्डल के सदस्यगण एवं पत्रकार बन्धु उपस्थित रहे।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी सीतापुर श्री रामवीर सिंह तथा उनकी टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान खोही के पास से अभियुक्ता 1. श्रीमती सुशीला पत्नी रज्जन 2. रामकेश पुत्र रज्जन निवासीगण चितरा गोकुलपुर 3. सोनू वर्मा पुत्र धनराज निवासी कामतन थाना नयागांव जिला सतना मध्य प्रदेश को 03 किलो 700 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

### बरामदगी:-

03 किलो 700 ग्राम नाजायज गांजा

### गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम:-

1. चौकी प्रभारी सीतापुर श्री रामवीर सिंह
2. आरक्षी प्रकाश मिश्रा
3. आरक्षी अनूप विश्वकर्मा
4. आरक्षी शिवम गुप्ता

5. आरक्षी सोनू
6. महिला आरक्षी पूनम

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 04 अभियुक्तों के कब्जे से 35 लीटर कच्ची शराब बरामद की।

(i). उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव थाना राजापुर तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्ता श्रीमती देवमनिया सोनकर पत्नी बम्बा सोनकर निवासी मुहल्ला हनुमानगंज कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 10 लिटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री कन्हैयालाल पाण्डेय थाना राजापुर तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त रामबाबू पुत्र रामकिशोर निवासी शिवपुर थाना मऊ जनपद चित्रकूट 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री हरीसिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त नत्थू निषाद पुत्र ननकू निषाद निवासी मंदाकिनी नदी के किनारे भैरोपागा थाना कोतवाली कर्वी को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(iv). वरि0उ0नि0 श्री दिनेश कुमार यादव थाना मारकुण्डी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त जगदीश कुशवाहा पुत्र भागवत प्रसाद निवासी इटवां डुडैला थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री प्रवीण सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1. वीर बक्स पुत्र जंगी निवासी पुरानी बाजार 2. लखनलाल पुत्र बैजनाथ निवासी भैरोपागा 3. संतोष पटेल पुत्र रामा पटेल निवासी मछली मण्डी 4. किशन कुमार शर्मा पुत्र शिवलाल शर्मा निवासी कौबरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 2370/- रुपये व जामातलाशी 310 रुपये तथा 52 अदद ताश के पत्ते बरामद हुये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

#### बरामदगी:-

1. मालफड़ 2370/- रुपये
2. जामातलाशी 310 रुपये
3. 52 अदद ताश के पत्ते

#### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री प्रवीण सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. उ0नि0 श्री अजय कुमार यादव
3. उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव
4. आरक्षी विपिन प्रताप
5. आरक्षी सर्वेश मौर्या
6. आरक्षी प्रीतम गौड़

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में परिवारिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा एक बार फिर पति-पत्नि के झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया ।

उल्लेखनीय है कि श्री रामसखा पुत्र स्व0 सीताराम त्रिपाठी निवासी खोही विलौंहा का पुरवा थाना बरौंथा जिला सतना म0प्र0 ने पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी पुत्री सीमा को उसके पति रोहित पाण्डेय पुत्र शमामसुन्दर पाण्डेय निवासी गौशाला जुगुल किशोर का पुरवा रसिन थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट द्वारा दहेज

की मांग की जा रही है तथा मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र उ0नि0 श्री बैजनाथ यादव एवं मुख्य आरक्षी अरूण कुमार एवं महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया गया। दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनकर, समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में विवाद न करने एवं आपस में मिलजुल कर रहने हेतु कहा। इस तरह दोनों पक्षों द्वारा आज दिनांक 18.01.2021 को आपस में सुलह की गयी। सुलह होने पर पति रोहित पाण्डेय एवं पत्नी सीमा को आपस में सामन्जस्य बिठाकर तथा पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

(7). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 18.01.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना भरतकूप के द्वारा भरतकूप मंदिर और मेला में, एंटी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ में इलाहाबाद बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पण्डित पुरुषोत्तम इण्टर कालेज में, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चकरेही चौराहा, कसहाई रोड, शंकर बाजार में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

एंटी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एंटी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।